न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 20/2023
जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/29
उम्मेद सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह, निवासी वार्ड नं. 1 अनूपगढ

–अपीलार्थी

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

–प्रत्यर्थी

<u>अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम</u>

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 24.01.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपील प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि बीत जाने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गयी है ना ही पत्र का कोई जवाब दिया है।

प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के द्वारा प्रेषित टिप्पणी क्रमांक/आरटीआई/62 दिनांक 23.01.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रेषित किया गया हैं कि प्रार्थी को कार्यालय द्वारा जवाब प्रेषित किया गया था कि बिन्दू सं. 1 की सूचना प्रश्नात्मक प्रकृति की है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रश्नात्मक सूचना देय नहीं हैं। बिन्दू सं. 2 द्वारा वांछित सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए 02 रूपये प्रति पेज के हिसाब से 3 पेज के 6 रूपये इस कार्यालय की आरटीआई शाखा में जमा करावें। अपीलार्थी द्वारा बिन्दू सं. 2 के संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कार्यालय द्वारा चाहा गया शुल्क जमा नहीं करवाया गया, जिसके कारण अपीलार्थी को बिन्दू सं. 2 के संदर्भ में सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर आवेदन पत्र के द्वारा वांछित सूचना के बिन्दू सं. 1 प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय को प्रेषित किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 09.12.2021 पर उनके द्वारा की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने एवं बिन्दू सं. 2 द्वारा लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय को प्रेषित किये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 09.12.2021 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने हेतु निवेदन किया था। लोक सूचना अधिकारी द्वारा बिन्दू सं. 2 की सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदक को शुल्क जमा करवाने हेतु लिखा गया। बिन्दू सं. 1 के द्वारा वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को प्रति उत्तर प्रेषित किया गया कि उनके द्वारा वांछित सूचना प्रश्नात्मक हैं, जबकि आवेदक द्वारा लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय को प्रेषित प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही की सूचना चाही गयी हैं, जो प्रश्नात्मक श्रेणी में नहीं हैं। लोक सूचना अधिकारी को चाहिए था कि वे अपीलार्थी/आवेदक को सूचना उपलब्ध करवाते। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार कर प्रकरण लोक सूचना अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित हैं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती हैं तथा प्रकरण लोक सूचना अधिकार्री एवं उपखण्ड अधिकारी [illegible] प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि आवेदक को 15 दिवस में बिन्दू सं. 1 की सूचना उपल[illegible] सूचना निश्चित समयावधि में प्रदान नहीं की जा रही हैं इसलिए बिन्दू सं. 1 [illegible] एवं बिन्दू सं. 2 की सूचना निर्धारित शुल्क जमा करवाने पर आवेदक को उपलब्ध [illegible] निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 24.01.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
I.A.S
जिला कलक्टर
अनूपगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:41:20 IST
Reason: SelfAttested